

इकरारनामा बाबत किराया/किरायानामा

वार्षिक किराया रूपये

स्टाम्प रूपये

स्टाम्प क्रमांक दिनांक

स्टाम्प की संख्या

किरायानामा आज दिनांक ----- को श्री/श्रीमती -----  
पुत्र/पुत्री/धर्मपत्नी/विधवा----- आयु वर्ष ----- निवासी -----तहसील -----  
जिला ----- राज्य----- । (प्रथम पक्ष/मालिक)

श्री/श्रीमती ----- पुत्र/पुत्री/धर्मपत्नी/विधवा----- आयु वर्ष  
----- निवासी -----तहसील ----- जिला ----- राज्य----- (द्वितीय पक्ष/  
किरायेदार ) के बीच निष्पादित किया गया है/लिखा गया है।

जो कि प्रथम पक्ष अनुसूची मे दर्शाया गया है, एक मकान/प्लाट/फ्लेट/दुकान/फैक्टरी  
/उद्योगिक प्लाट/जिसका प्रथम पक्ष मालिक व काबिज है। जिस पर किसी प्रकार का कोई भार  
नहीं है । अनुसूची मे दर्शाई गई अचल संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई कर्जा, किसी बैंक या सरकारी  
अथवा गैर सरकारी संस्था से प्राप्त नहीं किया हुआ । संबंधित अचल संपत्ति किसी नीलामी व कुर्की  
आदि मे शामिल नहीं है । संबंधित अचल संपत्ति को आज से पहले किसी प्रकार से रहन-बैय-हिब्बा व  
अन्य तरीके पर हस्तान्तरित नहीं किया गया है । अचल संपत्ति को किराये पर देने की बावत किसी  
प्रकार की कोई रूकावट किसी विभाग या किसी न्यायालय की नहीं है । उक्त अचल संपत्ति पर प्रथम  
पक्ष का कब्जा दिनांक ----- से बतौर किरायेदार राशि----- रू0 प्रति मास पर बतौर किराये  
के रूप मे देनी स्वीकार की है । जिसकी बावत किरायानामा दिनांक ----- को किया गया है । जिसका  
किरायानामा निष्पादित करना प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष उचित समझते है । इसलिए अब प्रथम पक्ष व  
द्वितीय पक्ष उक्त किरायानामा दिनांक ----- तक के लिये निष्पादित करते है कि प्रथम पक्ष ने अपनी  
उक्त राशि ----- रू0 प्रति मास किराये पर द्वितीय पक्ष को निम्नलिखित शर्तों पर दी है:-

- 1- यह है कि मौके पर कब्जा द्वितीय पक्ष का दिनांक ----- से दे दिया है और यह किरायानामा  
दिनांक ----- तक की अवधि तक वैध रहेगा ।

- 2- किराया की इस अवधि के दौरान द्वितीय पक्ष किराये के रूप में प्रथम पक्ष को ----- रु0 प्रति मास के हिसाब से हर मास की ..... तिथि तक अग्रिम रूप में प्रथम पक्ष को नगद प्रदान कर देगा ।
- 3- यह है कि उक्त अवधि के दौरान सरकारी लगान, पानी एवं बिजली का खर्च द्वितीय पक्ष स्वयं वहन करता रहेगा । जिसके बारे में प्रथम पक्ष कोई आपत्ति उत्पन्न नहीं करेगा ।
- 4- यह है कि उक्त अवधि समाप्त होने पर द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को वापिस कर देगा ।
- 5- यह है कि उक्त अवधि के दौरान भुगतान की रसीद प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को देगा ।
- 6- यह है कि उक्त अवधि के दौरान प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के बीच कोई विवाद होता है तो पंच फैसला दोनों पक्षों को मान्य होगा ।
- 7- यह है कि द्वितीय पक्ष ने ..... रुपये (शब्दों में-----रुपये) केवल नगद प्रथम पक्ष को बतौर जमानत के रूप में अदा कर दिये हैं जो कि बिना किसी ब्याज के प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को सम्बन्धित अचल सम्पत्ति के खाली करने के समय बकाया किराया व अन्य देनदारी आदि काट कर वापिस कर देगा ।
- 8- यह है कि उपरोक्त म्यांद के बाद यदि किरायेदारी की म्यांद बढ़ाई जाती है तो प्रत्येक मास----- के बाद ----- प्रतिशत की दर से किराये में वृद्धि होगी तथा किरायेदारी की म्यांद केवल प्रथम पक्ष की सहमति द्वारा ही बढ़ाई जा सकेगी ।
- 9- यह है कि द्वितीय पक्ष सम्बन्धित अचल सम्पत्ति को केवल----- कार्य के लिए इस्तेमाल करेगा ।
- 10- यह है कि द्वितीय पक्ष सम्बन्धित अचल सम्पत्ति पर या इसकी किसी भी निर्माण में किसी भी किस्म की कोई तोड़फोड़ या नया निर्माण नहीं करेगा तथा किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर नहीं देगा तथा प्रथम पक्ष को हक होगा कि वह किसी भी समय निरीक्षण के लिए आ सकता है जिसका द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी तथा द्वितीय पक्ष कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो कि कानून की नजरों में गलत होगा ।
- 11- यह है कि सम्बन्धित अचल सम्पत्ति में छोटी मरम्मत जैसे कि बिजली की तारों में परेशानी, पानी की लीकेज आदि द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा ।

12- यह है कि जब भी किसी पक्ष को उपरोक्त अचल सम्पत्ति को खाली करना या कराना हो तो वह दूसरे पक्ष को दो महिने पहले नोटिस देगा ।

13- यह है कि उपरोक्त किराया नामा के दोनो पक्ष व उनके वारसान आदि हमेशा पाबन्द रहेंगे तथा इसकी शर्तो का पालन करेंगे ।

अतः यह किराया नामा लिख दिया है कि बतौर साक्षी प्रमाण रहे ताकि समय पर काम आये ।  
दिनांक-----

अनुसूचि ( पहचान के लिये अचल सम्पत्ति का विवरण)

नक्शा सीमा व पैमाईश मकान /प्लाट/फ्लेट/दुकान/फैक्टरी/उद्योगिक प्लाट के केस  
मे

पूर्व:- ..... फुट..... इंच.....पश्चिम:- ..... फुट..... इंच.....  
...

उत्तर:- ..... फुट..... इंच.....दक्षिण:- ..... फुट..... इंच.....  
.....

स्थित.....

साक्षीगण:

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

1.

2.

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष